कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/ दिनांकः– 11/07/19

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा समस्त संभाग

विषयः– स्टाफिंग पैटर्न–2019 में सत्र 2018–19 का नामांकन अपडेट नहीं होने के कारण पोर्टल से जेनरेट हुए स्टाफिंग पैटर्न में वास्तविक नामांकन के अनुरूप शैक्षणिक कार्मिकों के पद स्वीकृत/आवंटन नहीं होने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में विद्यालयवार शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के पुनर्निर्धारण के संबंध में जारी आदेश दिनांक 28.05.19 की अनुपालना में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से सत्र 2018–19 के अंतिम नामांकन के आधार पर विद्यालयवार स्टाफिंग पैटर्न जेनरेट कर शैक्षणिक कार्मिकों के विद्यालयवार, श्रेणीवार, विषयवार एवं लेवलवार पदों का निर्धारण किया गया है तथा उसके अनुरूप अधिशेष कार्मिकों के काउंसलिंग के माध्यम से अन्य आवश्यकता वाले विद्यालयों में पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस कार्यालय को जेनेरेट हुए स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में कतिपय ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें विद्यालय का सत्र 2018–19 का नामांकन अपडेट नहीं होने के कारण विद्यालयों मे कम पद आवंटित होने संबंधी उल्लेख है, जबकि समय–समय पर समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को नामांकन अपडेट किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। स्टाफिंग पैटर्न जेनरेट करने हेतु सत्र 2018–19 के अंतिम नामांकन को आधार माना गया है और सत्र 2018–19 में प्रारंभिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से तैयार करने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये हैं। ऐसे में विद्यालय का नामांकन अपडेट नहीं होने संबंधी शिकायतें प्राप्त होना स्वयमेव यह प्रमाणित करता है कि संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित अधिकारी पोर्टल पर प्रदर्शित सूचनाओं के अपडेशन के प्रति गम्भीर नहीं थे।

अतः आपके मण्डल के अंतर्गत संचालित प्रारंभिक शिक्षा के किसी राजकीय विद्यालय में सत्र 2018–19 का नामांकन सत्रांत तक भी संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान/पीईईओ/बीईईओ द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट नहीं किया/करवाया गया है और इसके कारण किसी विद्यालय में स्टाफिंग पैटर्न–2019 अन्तर्गत कम पदों का निर्धारण/वास्तविक भौतिक नामांकन के अनुरूप पद निर्धारित नहीं हुए हैं तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से ऐसे

www.rajteachers.com

प्रकरणों की गहन जांच करवावें तथा नामांकन के सत्यापन उपरांत यदि किसी राप्रावि/राउप्रावि में सत्र 2018-19 का नामांकन सत्रांत तक भी अपडेट नहीं किये जाने के कारण वास्तविक नामांकन के अनुरूप पद निर्धारित नहीं हुए हैं, ऐसी पुष्टि होती है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, पीईईओ, एसीबीईओ प्रथम (पोर्टल प्रभारी) को कारण बताओ नोटिस जारी कर उक्त विद्यालयों का पुनः स्टाफिंग पैटर्न जेनरेट करने हेतु प्रस्ताव निदेशालय को अविलम्ब भिजवावें तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी भिजवावें कि- **"उक्त प्रस्ताव के अलावा अन्य सभी विद्यालयों का सत्र 2018-19 का सत्रांत नामांकन अपडेट है तथा उनमें सत्र 2018-19 के सत्रांत के अपडेटेड नामांकन के आधार पर ही सही स्टाफिंग पैटर्न जेनरेट हुआ है"।**

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायत राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः- शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/स्टा.पैटर्न/2018/ दिनांकः- 11/07/19

प्रतिलिपिः-

1. विशिष्ठ सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उपायुक्त, शाला दर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर को लेख है कि 2018-19 का नामांकन अपडेट करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए नामांकन संशोधित विद्यालयों का पोर्टल पर स्टाफिंग पैटर्न पुनर्निर्धारण की सुविधा उपलब्ध करावें।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारं. शिक्षा, मुख्यालय, समस्त।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
8. समस्त एबीईईओ प्रथम/पीईईओ/संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि अपने विद्यालय का सत्र 2018-19 का सत्रांत नामांकन पोर्टल पर विद्यालय के स्टाफिंग पैर्टन पेज पर प्रदर्शित नामांकन से मिलान कर विद्यालय अभिलेखानुसार शत प्रतिशत सही पाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायत राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com